भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2911
दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

कोलार गोल्ड फील्ड्स

†2911. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड्स में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के परिसर में मौजूद विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना का उपयोग करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय सहित उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप किया जा सकता है और सोने के खनन को पुन: शुरू करने के लिए चर्चा भी की जा सकती है;
(ग) यदि नहीं तो आम आदमी के लाभ हेतु इस विश्वस्तरीय अवसंरचना का उपयोग अन्य कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का मारिकुप्पम और कुप्पम के बीच एक बड़ी लाइन शुरू करने के लिए बीजीएमएल भूमि को रेलवे को हस्तांतरित करके साहसिक कदम उठाने का विचार है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या राष्ट्र के व्यापक हित में बीजीएमएल परिसर का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए भी किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क, ख एवं ग): भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (बीजीएमएल) का प्रचालन बंद कर दिया गया था क्योंकि कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। इसके अलावा, जुलाई 2006 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खुली वैश्विक निविदा के माध्यम से बीजीएमएल की संपत्ति बेचने का फैसला किया है। इस प्रकार, बीजीएमएल द्वारा न तो खनन फिर से शुरू करने की संभावना है और न ही खेल अवसंरचनाओं का उपयोग करने की।

(घ) और (ङ): वर्ष 2016 के दौरान दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीजीएमएल से मारीकुप्पम और कुप्पम रेल लाइन के विस्तार के लिए बीजीएमएल की 49.71 एकड़ भूमि का अनुरोध किया। बीजीएमएल ने

दक्षिण पश्चिम रेलवे को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से अनुमति लेने की सलाह दी क्योंकि कंपनी की संपत्ति न्यायालय की निगरानी में है। न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद एसडब्ल्यूआर ने जिला कलक्टर, कोलार द्वारा निर्धारित सर्कल दर के अनुसार भूमि लागत के रूप में न्यायालय में 2,78,23,229/- रुपये की राशि जमा की। इसके बाद, आरईसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए कोलार जिला प्रशासन ने 49.71 एकड़ बीजीएमएल भूमि का अधिग्रहण किया।

(च): उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****